

न्यायालय — पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.

(आप.प्रक.क. :- 465 / 2014)

(संस्थित दिनांक :- 05 / 06 / 14)

म.प्र. राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मौ

जिला-भिण्ड., म.प्र.

..... अभियोजन

// विरुद्ध //

01. मेहरबान सिंह कुशवाह पुत्र चतुरी कुशवाह उम्र 72 वर्ष
 02. कलियान कुशवाह पुत्र लच्छीराम कुशवाह उम्र 31 वर्ष
 03. संतोष कुशवाह पुत्र लच्छीराम कुशवाह उम्र 30 वर्ष
 04. कैलाश कुशवाह पुत्र लच्छीराम कुशवाह उम्र 26 वर्ष
- निवासीगण :- धनाई मौहल्ला मौ, थाना-मौ, जिला-भिण्ड, (म.प्र.)

..... अभियुक्तगण

// निर्णय //

(आज दिनांक : 15 / 11 / 2016 को घोषित)

01. अभियुक्तगण कैलाश, संतोष, कलियान एवं मेहरबान पर भा.द.सं. की धारा 451, 294, 323/34 एवं 506 भाग II के अन्तर्गत आरोप हैं कि आरोपीगण ने दिनांक :- 28/03/2014 को शाम लगभग 06:00 बजे फरियादी भगवान सिंह का दरवाजा स्थित धनाई मौहल्ला मौ में, फरियादी की मारपीट करने के आशय से प्रवेश कर गृह अतिचार किया, फरियादी भगवान सिंह को मौ-बहन की अश्लील गालियों देकर क्षोभ कारित किया एवं सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी भगवान सिंह की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उसके अग्रसरण में अभियुक्तगण ने फरियादी भगवान सिंह की लात-घूसों से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहतियों कारित की एवं फरियादी भगवान सिंह को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 28/03/2014 को शाम लगभग 06:00 बजे फरियादी भगवान सिंह का दरवाजा स्थित धनाई मौहल्ला मौ में, आरोपीगण द्वारा फरियादी भगवान सिंह के घर में प्रवेश करने, उसकी मारपीट कर उससे गाली-गलौच करने एवं जान से मारने की धमकी देने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी भगवान सिंह द्वारा उसी दिनांक थाना मौ पर की जाने पर थाना मौ में आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 122/14 अन्तर्गत धारा 451, 323, 294 एवं 506

भाग।। सहपठित धारा 34 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामे बनाये गये। फरियादी भगवान सिंह, साक्षी लालू, कमल सिंह एवं पातीराम के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

04. अभियुक्तगण कैलाश, संतोष, कलियान एवं मेहरबान के विरुद्ध धारा 451, 294, 323/34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. का आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया। आरोपीगण का अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उनका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उन्होंने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फँसाया जाना व्यक्त किया एवं प्रतिरक्षा साक्षी सीताराम प्रति.सा.01 की प्रतिरक्षा साक्ष्य अंकित की गई है।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैं :-

01. क्या आरोपीगण ने दिनांक :- 28/03/2014 को शाम लगभग 06:00 बजे फरियादी भगवान सिंह का दरवाजा स्थित धनाई मौहल्ला मौ में, फरियादी की मारपीट करने के आशय से प्रवेश कर गृह अतिचार किया?

02. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर, फरियादी भगवान सिंह को माँ-बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया?

03. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी भगवान सिंह की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उसके अग्रसरण में अभियुक्तगण ने फरियादी भगवान सिंह की लात-घूसों से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहतियों कारित की?

04. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर फरियादी भगवान सिंह को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया?

05. अंतिम निष्कर्ष?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष
विचारणीय बिन्दु क्रमांक : 01 लगायत 04

07. साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 लगायत 04 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

08. इन विचारणीय बिन्दुओं के संबंध में फरियादी भगवान सिंह अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपीगण कैलाश, सतीश, मेहरवान उर्फ करन को जानता है, क्योंकि वह उसके पड़ोसी है। घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 07/08/2015 से लगभग सवा साल पहले की शाम करीबन छः – सात बजे की है। साक्षी आगे कहता है कि उसका कोर्ट में आरोपीगण के विवाद का न्यायालय में पूर्व से मामला चल रहा था। वह तारीख पेशी करके थोड़ी जल्दी पहुँच गया और दरवाजे पर बैठा था, तो आरोपीगण उसके दरवाजे पर आ गये और बोले कि मादरचोद तुम तारीख पर क्यों गये। उसने गाली देने से मना किया तो आरोपीगण ने उसकी मारपीट की, जिससे उसकी कमर में, सिर में एवं सीने में चोटें आई थी। साक्षी आगे कहता है कि आरोपी मेहरबान ने कहा कि तू रिपोर्ट करने गया तो तुझे जान से खत्म कर देंगे, फिर उसने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना मौ में की थी, जो प्र.पी.01 है, जिस पर उसकी अंगूठा निशानी है। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा-मौका प्र.पी.02 बनाया था, जिस पर उसकी अंगूठा निशानी है। पुलिस ने इस संबंध में उससे पूछताछ की थी।

09. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में आहत फरियादी भगवान सिंह अ.सा.01 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसकी आरोपीगण से पहले से रंजिश चल रही है, परन्तु उसने इस सुझाव से इन्कार किया है कि रंजिश के कारण उसने आरोपीगण के विरुद्ध यह झूठा मुकदमा दर्ज कराया है और उसने स्वतः कहा है कि आरोपीगण ने उसकी मारपीट की थी, इसलिए उसने उक्त मामला दर्ज कराया है। रंजिश एक ऐसा तथ्य है, जिसके कारण यदि फरियादी द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट किया जाना संभव है, तो वहाँ पर यह भी संभव है कि उक्त रंजिश के कारण आरोपीगण द्वारा फरियादी की मारपीट की जाये इसलिए रंजिश के तथ्य का कोई लाभ आरोपीगण को प्रदान नहीं किया जा सकता। इस प्रकार आरोपीगण द्वारा फरियादी/आहत भगवान सिंह अ.सा.01 से गाली-गलौच करने एवं उसकी मारपीट करने के संबंध में उसका न्यायालयीन अभिसाक्ष्य प्रति-परीक्षण उपरांत भी तात्त्विक रूप से अखण्डित रहा है। जिसकी सारतः पुष्टि उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 के तथ्यों से भी हो रही है।

10. साक्षी लालू अ.सा.03 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपीगण को जानता है, क्योंकि वह उसके पड़ोसी है। घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 12/01/2016 से लगभग दो साल पहले की शाम साढ़े छः बजे की है। साक्षी आगे कहता है कि वह मौहल्ले में अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी आरोपीगण कैलाश, कल्याण, मेहरवान एवं संतोष ने भगवान सिंह को माँ-बहन की मादरचोद-बहनचोद की गालियाँ दे रहे थे। भगवान सिंह ने आरोपीगण को गाली देने से मना किया तो आरोपीगण ने भगवान सिंह की लात-घूसों से मारपीट कर दी थी।

साक्षी आगे कहता है कि मारपीट के दौरान भगवान सिंह के कमर में एवं शरीर में चोटें आई थी। साक्षी आगे कहता है कि आरोपी कैलाश ने कहा था कि अगर रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर दूंगा। पुलिस ने उसका कोई बयान नहीं लिया था। इस साक्षी का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य आरोपीगण द्वारा फरियादी भगवान सिंह अ.सा.01 को गाली-गलौच करने एवं उसकी मारपीट करने के संबंध में पूर्णतः अखण्डित रहा है। लालू अ.सा.03 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य से फरियादी भगवान सिंह अ.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि होती है।

11. साक्षी पातीराम अ.सा.04 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपीगण कैलाश, करू, मेहरवान एवं संतोष को जानता है, क्योंकि आरोपीगण उसके पड़ोसी है। घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 12/01/2016 से लगभग डेढ़-दो साल पहले की शाम साढ़े छः बजे की है। साक्षी आगे कहता है कि वह अपने मकान की तरफ जा रहा था, तभी आरोपीगण कैलाश, कल्याण, मेहरवान एवं संतोष ने फरियादी भगवान सिंह को माँ-बहन की मादरचोद-बहनचोद की गालियाँ दे रहे थे। भगवान सिंह ने आरोपीगण को गाली देने से मना किया तो आरोपीगण ने भगवान सिंह की लात-घूसों से मारपीट कर दी थी। साक्षी आगे कहता है कि मारपीट के दौरान भगवान सिंह को पीठ में, छाती में एवं कमर में चोटें आई थी। साक्षी आगे कहता है कि आरोपीगण ने कहा था कि अगर रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर दूंगा। पुलिस ने उसका तीन-चार दिन बाद बयान लिया था। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में पातीराम अ.सा.04 का कहना है कि फरियादी भगवान सिंह उसका पड़ोसी है, उसका मकान भगवान सिंह के मकान के पूर्व दिशा में है, लेकिन उसने घटना में कोई बीच-बचाव नहीं किया था। साक्षी का कहना है कि उसने इसलिए बीच-बचाव नहीं किया था, क्योंकि उसे भी घटना में चोट आ सकती थी। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में पातीराम अ.सा.04 का कहना है कि उसने आरोपीगण द्वारा फरियादी को चोट कारित करते हुए देखा था। इस साक्षी का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य आरोपीगण द्वारा फरियादी भगवान सिंह अ.सा.01 को गाली-गलौच करने एवं उसकी मारपीट करने के संबंध में पूर्णतः अखण्डित रहा है। साक्षी पातीराम अ.सा.04 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य से फरियादी भगवान सिंह अ.सा.01 एवं लालू अ.सा.03 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि होती है।

12. साक्षी कमल सिंह अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपीगण कैलाश, सतीश, मेहरवान उर्फ करन को जानता है, क्योंकि वह उसके पड़ोसी है। साक्षी आगे कहता है कि आरोपीगण द्वारा की गई मारपीट में उसके फैंक्चर हुआ था, जिसके वावत् मुकद्मे में वह दिनांक : 28/03/2014 को न्यायालय सुश्री शैलजा गुप्ता के समक्ष बयान देने आया था। रास्ते में उसकी बस पंचर हो गई, उसके बाद जब वह देर शाम घर पहुँचा तो उसके भाई साहब भगवान सिंह ने उसे बताया कि आरोपीगण कैलाश, सतीश, मेहरवान उर्फ करन ने भगवान सिंह की मारपीट की थी और उससे कहा था कि तू गवाही देने क्यों गया था, तुझे जान से खत्म कर देंगे। मादरचोद रिपोर्ट करने गया तो जान से खत्म कर देंगे। घटना के दूसरे दिन पुलिस ने

घटनास्थल पर आकर उससे पूछताछ की थी। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में कमल सिंह अ.सा.02 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि घटना के समय वह न्यायालय में मौजूद था, घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। इस प्रकार यह साक्षी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी ना होकर मात्र अनुश्रुत साक्षी होना दर्शित होता है। इसलिए इस साक्षी के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य का कोई लाभ अभियोजन को प्रदान नहीं किया जा सकता।

13. अभियोजन साक्षी निहाल सिंह अ.सा.05 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 28/03/2014 को पुलिस थाना मौ में प्रधान आरक्षक लेखक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को फरियादी भगवान सिंह द्वारा आरोपी कैलाश, संतोष परिहार, मेहरवान निवासीगण :- धनाई मौहल्ला के विरुद्ध मौखिक रिपोर्ट करने उसके द्वारा अपराध क्रमांक 122/14 अन्तर्गत धारा 451, 294, 323 एवं 506 भाग।। सहपठित धारा 34 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई थी, जिसे फरियादी द्वारा सही होना स्वीकार किया गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में निहाल सिंह अ.सा.05 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि घटना शाम 06 बजे की है एवं फरियादी 08:50 बजे रिपोर्ट करने थाने आया था। इस प्रकार फरियादी भगवान सिंह अ.सा.01 द्वारा घटना के यथासंभव शीघ्र घटना की रिपोर्ट थाने पर की गई थी। फरियादी द्वारा की गई रिपोर्ट लेखबद्ध किये जाने के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक निहाल सिंह अ.सा.05 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य प्रति-परीक्षण उपरांत भी तात्त्विक रूप से अखण्डित रहा है और उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य से फरियादी भगवान सिंह अ.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि हो रही है।

14. अभियोजन साक्षी अवनीश शर्मा अ.सा.06 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 29/03/2014 को पुलिस थाना मौ में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे अपराध क्रमांक 122/14 अन्तर्गत धारा 451, 294, 323 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. की विवेचना प्राप्त हुई थी। साक्षी आगे कहता है कि विवेचना के दौरान उसके द्वारा फरियादी भगवान सिंह के बताये अनुसार घटनास्थल का नक्शा-मौका प्र.पी.02 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही फरियादी भगवान सिंह, साक्षीगण कमल सिंह, पातीराम एवं लालू के उनके बताये अनुसार कथन लेखबद्ध किये थे। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा दिनांक : 31/03/2014 को आरोपीगण कैलाश, संतोष, कल्याण एवं मेहरवान को साक्षीगण के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा क्रमशः प्र.पी.03 लगायत 06 बनाये थे, जिनके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् विवेचना पूर्णकर चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। साक्षी अवनीश शर्मा अ.सा.06 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य प्रति-परीक्षण उपरांत भी तात्त्विक रूप से अखण्डित रहा है।

15. फरियादी भगवान सिंह अ.सा.01 एवं अन्य साक्षीगण की न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में ऐसे कोई तथ्य प्रकट नहीं हुये हैं, जिससे यह दर्शित होता हो कि आरोपीगण द्वारा फरियादी भगवान सिंह के घर में उसकी मारपीट करने के आशय से प्रवेश कर उसके घर के अन्दर उसकी मारपीट की गई हो। इसी प्रकार फरियादी भगवान सिंह अ.सा.01, साक्षी लालू अ.सा.03 एवं पातीराम अ.सा.04 ने उनके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में यह दर्शित किया है कि आरोपीगण ने उसे धमकी दी कि यदि फरियादी भगवान सिंह रिपोर्ट करने गया तो उसे जान से खत्म कर देंगे। उल्लेखनीय है कि फरियादी भगवान सिंह द्वारा घटना के दो घण्टे पचास मिनट पश्चात यथासंभव घटना की रिपोर्ट थाना मौ पर की गई। जिससे यह दर्शित होता है कि आरोपीगण द्वारा दी गई उक्त धमकी का फरियादी भगवान सिंह पर कोई प्रभाव नहीं हुआ था और उक्त धमकी सामान्य रूप से मारपीट के अनुक्रम में बोले जाने वाली शब्द मात्र थे। आरोपीगण का उक्त धमकी को उसका कार्य रूप में परिणित करने का कोई आशय रहा हो, यह अभियोजन साक्ष्य से दर्शित नहीं होता।

16. प्रति-रक्षा साक्ष्य में साक्षी सीताराम प्रति.सा.01 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य अंकित कराया गया है, परन्तु उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में ऐसे कोई तथ्य प्रकट नहीं हुये हैं, जो आरोपीगण की आरोपित अपराध में संलिप्तता ना होना दर्शित करते हो। इसलिए उक्त प्रतिरक्षा साक्षी की साक्ष्य का कोई लाभ आरोपीगण को प्रदान नहीं किया जा सकता।

17. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपीगण कैलाश, संतोष, कलियान एवं मेहरबान ने दिनांक :- 28/03/2014 को शाम लगभग 06:00 बजे फरियादी भगवान सिंह का दरवाजा स्थित धनाई मौहल्ला मौ में, जो कि लोकस्थान के पास समीप एक स्थान है, पर फरियादी भगवान सिंह को माँ-बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया एवं सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी भगवान सिंह की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उसके अग्रसरण में अभियुक्तगण ने फरियादी भगवान सिंह की लात-घूसों से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहतियों कारित की।

18. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण कैलाश, संतोष, कलियान एवं मेहरबान ने दिनांक : 28/03/2014 को शाम लगभग 06:00 बजे फरियादी भगवान सिंह का दरवाजा स्थित धनाई मौहल्ला मौ में, फरियादी की मारपीट करने के आशय से प्रवेश कर गृह अतिचार किया एवं फरियादी भगवान सिंह को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

अंतिम निष्कर्ष

19. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन आरोपीगण कैलाश, संतोष, कलियान एवं मेहरबान के विरुद्ध धारा 294 एवं 323/34 भा.द.सं. के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है। फलतः आरोपीगण को धारा 294 एवं 323/34 भा.द.सं. के आरोप से दोषसिद्ध किया जाता है। परन्तु अभियोजन आरोपीगण के विरुद्ध धारा 451 एवं 506 भाग II भा.द.सं. के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है, इसलिए आरोपीगण को धारा 451 एवं 506 भाग II भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

20. आरोपीगण को परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ देने पर विचार किया गया। परन्तु आरोपीगण द्वारा किये गये, कृत्य से समाज में सामूहिक रूप से गाली-गलौच कर मारपीट करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है, इसलिए आरोपीगण को शिक्षाप्रद दण्ड दिया जाना आवश्यक है, इसलिए उन्हें परिवीक्षा का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता।

21. निर्णय दण्ड के प्रश्न पर आरोपीगण के अधिवक्ता को सुने जाने के लिए कुछ समय के लिए स्थगित किया गया।

जे.एम.एफ.सी गोहद

पुनश्च:-

22. आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री आर.पी.एस.गुर्जर को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। आरोपीगण के अधिवक्ता श्री गुर्जर का कहना है कि आरोपीगण कम पढ़े-लिखे, गरीब एवं ग्रामीण पृष्ठभूमि के व्यक्ति हैं एवं आरोपी मेहरबान असहाय एवं वृद्ध है। आरोपीगण अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति है। यह आरोपीगण का प्रथम अपराध है। न्यायालय आरोपीगण अधिवक्ता के तर्कों से पूर्णतः सहमत नहीं है। फलतः आरोपीगण को धारा 294 भा.द.सं. के आरोप के लिए 100-100 रुपये अर्थदण्ड, धारा 323/34 भा.द.सं. के आरोप के लिए 03-03 माह के सश्रम कारावास तथा 100-100 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। प्रत्येक अर्थदण्ड अदा न करने पर आरोपीगण को मूल कारावास से पृथक 05-05 दिवस का सश्रम कारावास भुगताया जावे।

23. आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है। आरोपीगण को अभिरक्षा में लेकर सजा वारंट के माध्यम से कारावास का दण्ड भुगतने के लिए उप जेल गोहद भेजा जाये।

24. आरोपीगण द्वारा अन्वेषण या विचारण के दौरान अभिरक्षा में रह कर गुजारी गई, अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे और उक्त अवधि उसकी मूल कारावास के दण्डादेश की अवधि में से कम की जावे।

25. आरोपीगण द्वारा अर्थदण्ड की राशि जमा करने पर उक्त सम्पूर्ण राशि 800/- रुपये फरियादी/आहत भगवान सिंह अ.सा.01 को प्रतिकर के रूप में धारा 357 द.प्र.स. के अन्तर्गत अपील अवधि पश्चात् प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

(पंकज शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया

(पंकज शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद